राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 584/2016/हनुमानगढ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय, नोहर, वृत–ए, हनुमानगढ। .....अपीलार्थी

बनाम

मै0 वर्षा प्लास्टर उद्योग,
मंदरपुरा, नोहर, जिला हनुमानगढ। ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री आर.के.अजमेरा
उपराजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 206/आरवेट/हनुमानगढ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खादी का विक्रय किया जाता है, एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, नोहर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का मूल कर निर्धारण दिनांक 14.02.2014 को किया गया। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके कर निर्धारण आदेश को संशोधित करने का निवेदन किया। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी का संशोधन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी विनिर्माता नहीं है तथा उसके द्वारा खादी इकाई के रूप में कच्चा माल जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण नहीं किया गया है। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2015 द्वारा अपील को सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी विनिर्माता नहीं है तथा उसके द्वारा खादी इकाई के रूप में कच्चा माल जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण नहीं किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी को राज्य सरकार द्वारा कर मुक्ति का लाभ नहीं मिल सकता है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में खादी ग्रामोद्योग इकाईयों को कर मुक्ति छूट का पात्र माना गया है। चूंकि यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2006 से लागू की गई है, अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी भी इस अधिसूचना का पात्र बन जाता है। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण सशक्त अधिकारी प्रतिप्रेषित किया है। सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.08.2015 की पालना में दिनांक 11.11.2016 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया है। अतः उक्त बिन्दु पर यह अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य